

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3028
(दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए)

प्रेस सेवा पोर्टल

3028. श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से प्रेस एवं पत्रिका पंजीकरण (पी.आर.पी.) अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन की प्रगति का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा अधिरोपित दंड, निलंबित / रद्द किए गए प्रमाणपत्रों और इसके अंतर्गत निपटाई गई अपीलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने आवधिक प्रकाशनों के लिए कारोबार में सुगमता पर इसके प्रभाव का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) सरकार द्वारा प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरुगन)

(क) से (ग): प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के अनुसार, नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सभी आवेदनों को प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से संसाधित किया जाता है। तदनुसार, प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 (जो अब निरस्त हो चुका है) के तहत सृजित समाचारपत्रों के पंजीकरण के सभी भौतिक रिकॉर्डों (1.5 लाख से अधिक) को डिजिटाइज़ कर दिया गया है और प्रेस सेवा पोर्टल का हिस्सा बना दिया गया है। वर्तमान में, नई नियतकालिक पत्रिकाओं का पंजीकरण, मौजूदा नियतकालिक पत्रिकाओं के पंजीकरण में संशोधन, नियतकालिक पत्रिकाओं के स्वामित्व हस्तांतरण, वार्षिक विवरण दाखिल करना, जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान, नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रसार का सत्यापन आदि जैसी सेवाओं को प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा रहा है। अधिनियम के कार्यान्वयन के भाग के रूप में, 780 जिलों के निर्दिष्ट प्राधिकरणों को प्रेस सेवा पोर्टल पर शामिल किया गया है। 1 मार्च 2024 से

अब तक, कुल 11081 आवेदनों पर कार्रवाई की गई है और संबंधित श्रेणियों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से लगाए गए और भुगतान किए गए जुर्माने की एक विस्तृत सूची **अनुलग्नक-I** में संलग्न है और रद्द की गई नियतकालिक पत्रिकाओं की संख्या की एक विस्तृत राज्य-वार सूची **अनुलग्नक-II** में संलग्न है। सरकार अपनी विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के प्रभाव का निरंतर आकलन करती है। भारत के प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) पोर्टल के माध्यम से बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर फीडबैक प्राप्त करते हैं और उस पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

(घ): पंजीकृत समाचार पत्रों/नियतकालिक पत्रिकाओं की सूची पीआरजीआई की वेबसाइट अर्थात <https://prgi.gov.in> पर "हमारी सेवाएं" शीर्षक के अंतर्गत "पंजीकृत शीर्षक" टैब पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक-1 जैसा कि दिनांक 11.03.2026 के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3028 'प्रेस सेवा पोर्टल' के उत्तर में उल्लेख किया गया है

दिनांक 27.02.2026 तक प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से लगाए गए और भुगतान किए गए जुर्माने का विवरण

क्रम संख्या	प्रकाशन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त की गई कुल जुर्माना राशि (रु.)
1	कर्नाटक	52,74,000
2	ओडिशा	9,20,000
3	तमिलनाडु	44,17,000
4	हरियाणा	4,72,000
5	महाराष्ट्र	99,60,000
6	पश्चिम बंगाल	13,87,000
7	दिल्ली	37,92,000
8	गुजरात	37,59,000
9	उत्तर प्रदेश	44,08,000
10	आंध्र प्रदेश	30,72,000
11	छत्तीसगढ़	8,44,000
12	मध्य प्रदेश	82,84,000
13	केरल	17,39,000
14	तेलंगाना	12,61,000
15	पंजाब	8,33,000
16	जम्मू और कश्मीर	6,63,000
17	राजस्थान	26,77,000
18	उत्तराखंड	8,68,000
19	झारखंड	2,02,000
20	बिहार	5,09,000
21	हिमाचल प्रदेश	1,12,000
22	त्रिपुरा	1,42,000
23	चंडीगढ़	1,50,000
24	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	18,000
25	असम	2,55,000
26	नागालैंड	9,000
27	सिक्किम	1,59,000
28	गोवा	33,000
29	मिजोरम	50,000
30	पुडुचेरी	45,000
31	मणिपुर	51,000
32	दादरा और नगर हवेली	9,000
33	मेघालय	9,000
34	अरुणाचल प्रदेश	0
	कुल राशि	5,63,83,000

अनुलग्नक-II जैसा कि दिनांक 11.03.2026 के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3028 'प्रेस सेवा पोर्टल' के उत्तर में उल्लेख किया गया है		
रद्द किए गए प्रकाशनों की संख्या का राज्यवार विवरण		
क्रम संख्या	प्रकाशन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रद्द किए गए प्रकाशनों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69
2	आंध्र प्रदेश	2485
3	अरुणाचल प्रदेश	12
4	असम	612
5	बिहार	1703
6	चंडीगढ़	534
7	छत्तीसगढ़	817
8	दादरा और नगर हवेली	5
9	दिल्ली	11920
10	गोवा	131
11	गुजरात	3539
12	हरियाणा	1854
13	हिमाचल प्रदेश	289
14	जम्मू और कश्मीर	582
15	झारखंड	325
16	कर्नाटक	5059
17	केरल	3541
18	लक्षद्वीप	7
19	मध्य प्रदेश	4806
20	महाराष्ट्र	12403
21	मणिपुर	226
22	मेघालय	87
23	मिजोरम	163
24	नागालैंड	17
25	ओडिशा	1723
26	पुडुचेरी	125
27	पंजाब	2481
28	राजस्थान	4851
29	सिक्किम	51
30	तमिलनाडु	6443
31	तेलंगाना	1962
32	त्रिपुरा	88
33	उत्तर प्रदेश	11987
34	उत्तराखंड	1096
35	पश्चिम बंगाल	6322
	कुल	88,315

